न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 3977/2015 (2016/00070)

1. श्रीमति एजन देवी पत्नि श्री उगमा
2. रामकन्या पुत्री श्री उगमा
3. रामलाल पुत्र श्री उगमा

समस्त जाति बांम्बी निवासीगण जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल चौधरी —वादी अधिवक्ता
2. पेरौकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 14.02.2023

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम जाल का खेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

आराजीयात का विवरण

खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर
13/3	6—10—00 बीघा	83

आराजीयात का विवरण नया खसरा नम्बर

खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर
83	1.06 हैक्ट	बारानी 1

वादी का कथन है कि उपरोक्त वर्णित आराजी का आवंटन आवंटन केम्प ग्राम जूनियां आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.08.1974 को नियमानुसार वादीगण के पति व पिता श्री उगमा पुत्र सुवा को किया गया था। तब से ही उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उगमा जी का स्वर्गवास हो गया है। वादीगण उगमा जी के वारिसान है। आराजीयात पर वादीगण ही काबिज काश्त है, वादीगण द्वारा काफी पैसा खर्च कर विकास किया गया है और आज भी मौके पर कब्जा वादीगण का ही है। राजस्व अधिकारियों को कई बार खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया लेकिन आज तक वादीगण को खातेदार अधिकार प्रदान नही किये गये है जबकि वादीगण खातेदार अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 10.06.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी वादीगण को बैदखल करने पर उतारू हो रहे है व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जाकर माल गुजारी कायम किये जाने व जमाबन्दी बनायी जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.01.2016 को जवाब पेश किया। दिनांक 14.02.2017 को प्रकरण में तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली शहादत वादी में नियत की गई। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 31 तक अंकित कर वादी व पीडब्ल्यू 1 व 2 की जिरह क्रमशः दिनांक 09.03.2022 व 28.09.2022 को की गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। आज दिनांक 02.02.2023 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई जिसका विवरण तनकीवार निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वादीगण के पति व पिता की आवंटनशुदा आराजी होने से वादग्रस्त आराजी की वादीगण घोषणा कराने का हक रखते है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी ने प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2070 से 73 पेश की जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 83 [redacted] हैक्टर भूमि सिवायचक खाते में काबिज काश्त भूमि दर्ज है। प्रदर्श 2 वर्किंग जमाबन्दी जिसमें खसरा नम्बर 13/3 रकबा 6–10–01 जो कि जिम्मन नम्बर 1 सरकारी खाते में दर्ज है, प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल जिसमें साबिक खसरा नम्बर 13/3 जिसके हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 1.06 हैक्टर बने है। प्रदर्श 4 आवंटन सलाहकार समिति केम्प जूनियां दिनांक 13.08.1974 की प्रति पेश की है जिसमें आवंटन सलाहकार समिति का कार्यवाही विवरण है। प्रदर्श 5 व 6 साबिक खसरा नम्बर 13/3 की मौका रिपोर्ट, प्रदर्श 7,8,9 संवत 2030 से 33, 2039–42, तथा खसरा परिवर्तनशील संवत 2057 की प्रतियां पेश की है। प्रदर्श 7 व 8 में आवंटित भूमि पर 5 बीघा 7 बिस्वा पर काश्त होना जाहिर होता है। प्रदर्श 9 में वादी संख्या 3 रामलाल द्वारा खसरा नम्बर 13/3 में 1 बीघा सरसों काश्त किया जाना जाहिर होता है। प्रदर्श 10 व 11 वादीगण के पति व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किये है। प्रदर्श 12 वादी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी के नोटिस की छाया प्रति पेश की है। प्रदर्श 13 ढाल बांछ की नकल पेश की है जिसमें क्रम संख्या 166 पर श्री उगमा पुत्र सुवालाल बांभी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 13/3 पर माल, अबाब तथा पट्टा फीस 6.93 रूपये जमा कराये गये है जिसका विवरण अंकित होना पाया जाता है। प्रदर्श 14 रामलाल प्रदर्श 15 जगदीश प्रसाद प्रदर्श 16 भैरूलाल के बयानों की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिसमें वादी नम्बर 1 के पति उगमा पुत्र सुवालाल बांभी के नाम आराजी दर्ज होने बाबत पूर्व में उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा बयान दर्ज किया जाना जाहिर होता है। प्रदर्श 17 व 18 नामान्तकरण संख्या 87 व 102 की प्रति पेश की है जो वादी नम्बर 1 के पिता के साथ आवंटन की गई भूमि का पूर्व में किया गया नामान्तकरण दर्शाता है। प्रदर्श 19 नकल आधार जमाबन्दी जिसमें खात नम्बर 101 में मांगीलाल पुत्र मोतीलाल की खातेदारी दर्ज होना जाहिर होता है। प्रदर्श 20 नामान्तकरण संख्या 64 नाथूनाथ पुत्र मोतीनाथ कालबेलिया प्रदर्श 21 आधार जमाबन्दी जिसमें नाथूनाथ को गैर खातेदारी दी गई है। प्रदर्श 22 नामान्तकरण संख्या 61 केसर नाथ पुत्र मोती नाथ कालबेलिया तथा प्रदर्श 23 आधार जमाबन्दी की नकल पेश की है जिसमें केसरनाथ को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई है। प्रदर्श 24 व 25 नामान्तकरण संख्या 34 व आधार जमाबन्दी खात संख्या 179 जिसमें रामचन्द्र पुत्र मोती नाथ को गैर खातेदारी दर्ज किया जाना जाहिर होता है। प्रदर्श 26 व 27

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

आधार जमाबन्दी खाता संख्या 178 व नामान्तकरण की प्रति जिसमें भैरू पुत्र किशना रेगर को गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई है। प्रदर्श 29 मिलान क्षेत्रफल जिसमें साबिक खसरा नम्बर 15 के वर्तमान खसरा नम्बर 13 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी होना जाहिर होता है। वादी द्वारा प्रदर्श 30 केम्प जूनियां दिनांक 13.08.1974 को किन–किन काश्तकारों को कितनी कितनी भूमि आवंटन की गई है की सूची पेश की है जिसमें वादीगण के पति व पिता उगमा के साथ केसरनाथ, रामचन्द्र, नाथूनाथ, मोतीनाथ के नाम भूमि आवंटन की गई थी जिसके प्रार्थी के अलावा गैरखातेदारी/खातेदारी दे दी गई है किन्तु प्रार्थी को गैर खातेदार/खातेदारी नही दी गई है। प्रदर्श 31 वादीगणी के पति/पिता द्वारा आवंटन हेतु किये आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति जिसमें प्रार्थी को साबिक खसरा नम्बर 13/3 में आवंटन होना जाहिर होता है। वादीगण द्वारा बहस के दौरान ढाल बाछ की प्रमाणित नकल पेश की है। उक्त नकल श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से ली जाकर पेश की है जिसमें प्रार्थी द्वारा लगान, अबाब व पट्टा फीस के 1.93 रूपये जमा कराया जाना भी जाहिर होता है।

प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के हेतु जवाब दावे के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किया है। मात्र जवाब पेश किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि सिवायचक होना जाहिर किया है, वादपत्र का पेरा संख्या 2 अस्वीकार करते हुए वाद को सत्यापन करने हेतु वादी को जिम्मेदारी दी है। पैरा संख्या 3 अस्वीकार करते हुए वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों से कब्जा काश्त प्रभावित नही होना बताया है। पैरा संख्या 4 व 5 अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि गैर खातेदारी नही होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है। पैरा संख्या 6 वादी द्वारा वाद में मियाद गुजरने के बाद पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है। पैरा संख्या 7 जो कानूनी होना बताया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाह के आधार पर तनकी नम्बर 1 को वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि वर्तमान में सिवायचक होने, आवंटन शर्तो का पालन नही होने तथा दावा मियाद बाहर होने से चलने योग्य नही है। इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है जिसके क्रम में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही किये है। जवाब दावे में वादग्रस्त भूमि सिवायचक होना जाहिर किया है, वादपत्र का पेरा संख्या 2 अस्वीकार करते हुए वाद को सत्यापन करने हेतु वादी को जिम्मेदारी दी है। पैरा संख्या 3 अस्वीकार करते हुए वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों से कब्जा काश्त प्रभावित नही होना बताया है। पैरा संख्या 4 व 5 अस्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि गैर खातेदारी नही होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नही है। पैरा संख्या 6 वादी द्वारा वाद में मियाद गुजरने के बाद पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है। पैरा संख्या 7 जो कानूनी होना बताया है। अन्य कोई दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा पेश नही किये गये है। लिहाजा प्रतिवादी के दस्तावेजों का विवरण शुन्य है।

वादी ने तनकी नम्बर 2 को अपने हक में साबित करने हेतु पीडब्ल्यू 1 रामलाल, पीडब्ल्यू 2 किशनलाल, पीडब्ल्यू 3 ओमप्रकाश के बयान कराये गये जिसमें पीडब्ल्यू 1 रामलाल द्वारा उसके पिता को आवंटन की गई भूमि पर काश्त किया जाना जिरह के दौरान बताया है तथा शुरूआत में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त होते हुए भी गैर खातेदारी का नामन्तकरण नही खोलकर उसमें काश्त होना नही दर्शाया है तथा वादी संख्या 3 के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर आवंटनशुदा भूमि पर वादी नम्बर 3 को अतिक्रमी होना जिरह के

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दौरान अवगत कराया है। पीडब्ल्यू 2 किशनलाल ने रामलाल व उसके पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि लगभग 40 वर्षो पूर्व आवंटन होना तथा वर्तमान में रामलाल का कब्जा होना जाहिर किया है तथा वादग्रस्त आराजी के पडोस में एक महाजन व भील का खेत होना जाहिर किया है। पीडब्ल्यू 3 औमप्रकाश द्वारा वादग्रस्त आराजी जमीन तालाब के पेटे में आवंटन होना तथा कब्जा रामलाल का होना तथा वर्तमान में ज्वार की फसल काश्त होना जाहिर किया है साथ ही जाहिर किया कि मै खेत का पडोसी नही हूं किन्तु मै मजदूरी करने गया था जिससे में इनकी भूमि को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं।

अतः उपरोक्तानुसार प्रतिवादी तनकी नम्बर 2 को अपने हक में साबित करने में असमर्थ रहा है लिहाजा तनकी नम्बर 2 वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रदर्श 1 से 31 तक पेश किये जिसमें वादी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त होना जाहिर होता है। वादी द्वारा पीडब्ल्यू 1 के जिरह के दौरान न्यायालय के समक्ष अवगत कराया कि मैरे पिता[redacted] मैरे द्वारा आवंटन दिनांक से निरंतर आवंटित भूमि काश्त की जाती रही है किन्तु कई बार हल्का पटवारी गिरदावर द्वारा मौके पर जाकर गिरदावरी नही करने से मेरे नाम काश्त दर्ज नही की गई है तथा प्रार्थी का कब्जा तोडने के लिए जानबूझकर धारा 91 की रिपोर्ट भी नही की जाती है, किन्तु वादी द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त करना जाहिर होता है। प्रतिवादी द्वारा आवंटन दिनांक से अब तक वादीगण को आवंटित भूमि से कभी भी बैदखल किया हो उसका रिकॉर्ड भी प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। प्रकरण में कायम की गई तनकीयात भी वादी के पक्ष में तय होती है। लिहाजा वादी का वाद प्राईमाफेसाई, केस होना पाया जाता है तथा मौके पर आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त भी वादी का होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जाल का खेडा तहसील केकड़ी के साबिक खसरा नम्बर 13/3 हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 1.06 हैक्टर का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार निर्णय डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. श्रीमति एजन देवी पत्नि श्री उगमा
2. रामकन्या पुत्री श्री उगमा
3. रामलाल पुत्र श्री उगमा
   समस्त जाति बांम्बी निवासीगण जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रतिवादी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,209 राज. काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 3977/2015 (2016/00070)
निर्णय दिनांकः–14.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री निर्मल चौधरी वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जाल का खेडा तहसील केकड़ी के साविक खसरा नम्बर 13/3 हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 1.06 हैक्टर का गैर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है। उपरोक्तानुसार निर्णय डिक्री की पालना सुनिश्चित की जावे। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.02.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।